भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस **दिनांक : 11 जनवरी, 2018**

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : ईवीएम के साथ वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) के प्रयोग पर अनुदेश - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे, आयोग के समसंख्यक पत्र, दिनांक 3 नवम्बर, 2017 को संदर्भित करने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी के प्रवर्तन पर मतदान दलों को भेजे जाने या मतदान केन्द्र में छद्म मतदान के दौरान किसी भी बीयू या सीयू के ठीक तरीके से काम नहीं करने के दौरान ईवीएम तथा वीवीपीएटी के प्रतिस्थापन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि क्या सीयू, बीयू एवं वीवीपीएटी के पूरे सेट को प्रतिस्थापित किया जाना है या केवल संबंधित ईकाई अर्थात सीयू या बीयू को। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया था कि ईवीएम तथा वीवीपीएटी प्रतिस्थापित किए जाने, मतदान दलों की रवानगी या मतदान केन्द्र में छद्म मतदान के दौरान किसी बीयू या सीयू के ठीक तरह से कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:-

i) यदि बीयू ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो केवल खराब बीयू को ही रिजर्व बीयू से बदला जाना है।

ii) यदि सीयू ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो केवल खराब सीयू को ही रिजर्व सीयू से बदला जाना है।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन एजेन्टों को बदली गई बीयू, सीयू या वीवीपीएटी की सूची उपलब्ध कराई जाएगी और ईटीएस में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।

आयोग ने दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 के अपने समसंख्यक पत्र के पैरा 2.2 के प्रथम पैरा (मतदान के दौरान आकस्मिक स्थिति में कार्रवाई) पर पुनर्विचार किया है, अर्थात् "यदि सीयू या बीयू ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो सीयू, बीयू एवं वीवीपीएटी सहित पूरे ईवीएम को बदला

जाना आवश्यक है। कोई भी छद्म मतदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है" और यह हटा दिया गया माना जाए।

अब आयोग ने निम्नलिखित निदेश जारी किए है:

(क) **यदि वास्तविक मतदान के दौरान सीयू या बीयू ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो सीयू, बीयू और वीवीपीएटी सहित पूरे ईवीएम को बदले जाने की आवश्यकता है। तथापि, ऐसी स्थिति में छद्म मतदान में नोटा सहित प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को केवल एक वोट डाला जाना चाहिए।**

(ख) छद्म मतदान के पश्चात, पीठासीन अधिकारी सीयू में परिणाम सुनिश्चित करेंगे और मतदान एजेन्टों की उपस्थिति में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गिनती करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी से मेल खाता हो।

(ग) पीठासीन अधिकारी द्वारा सीयू में सभी छद्म मतदान डाटा तथा वीवीपीएटी से वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को अवश्य हटा दिया जाना चाहिए और मतदान एजेन्टों द्वारा खाली ड्राप बॉक्स को सत्यापित किया जाना चाहिए।

(घ) छद्म मतदान वाली वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के पीछे की तरफ "छद्म मतदान पर्ची" लिखी हुई रबड़ स्टाम्प से मुहर लगाई जानी चाहिए, उसके पश्चात इन छद्म मतदान वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को मोटे काले पेपर से बने लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इसे पीठासीन अधिकारी की मुहर से मुहरबंद किया जाना चाहिए। उक्त स्टाम्प का सैम्पल इमेज निम्नानुसार है:

छद्म मतदान पर्ची

(इस प्रयोजनार्थ प्रयोग की जाने वाली स्टाम्प का आकार 3 से.मी. X 1.5 से.मी. होना चाहिए)

(ङ) पीठासीन अधिकारी तथा मतदान एजेन्ट लिफाफे पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करेंगे। लिफाफे पर मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम, मतदान की तिथि और शब्द ***"ईवीएम तथा वीवीपीएटी के पूरे सेट के बदले जाने की स्थिति में आयोजित किए गए छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पेपर पर्चियां" लिखा जाएगा।***

(च) इस लिफाफे को छद्म मतदान हेतु विशेष प्लास्टिक बॉक्स में अवश्य रखा जाना चाहिए और इसे पिंक पेपर सील से चारों तरफ से इस प्रकार मुहरबंद किया जाना चाहिए ताकि बॉक्स को खोलने के लिए सील तोड़नी पड़े।

(छ) प्लास्टिक बॉक्स पर मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा मतदान की तारीख लिखी जाएगी।

(ज) पीठासीन अधिकारी और मतदान एजेन्ट पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करेंगे और निर्वाचन से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ इस बॉक्स को रखेंगे। उसके बाद, पीठासीन अधिकारी अन्य छद्म मतदान प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और सीयू तथा वीवीपीएटी को सील करेंगे।

(झ) वास्तविक मतदान आरंभ होने से पूर्व वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग के साथ मुहरबंद किया जाना चाहिए।

टिप्पणी:- वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपीएटी को बदले जाने की स्थिति में, कोई भी छद्म मतदान आयोजित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के नोटिस में लाया जाएगा।

भवदीय,
(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारत इलेक्ट्रॉनिकस लिमिटेड, बैंगलोर, कर्नाटक।
2. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद आंध्र प्रदेश।